न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 07/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सरदूल सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. जगरूप सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसविन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी डेरा महलां टिब्बा तहसील विजयनगर। 2. जगसीर सिंह पुत्र साधू सिंह जाति जटसिख निवासी बगलिया वाली तहसील सादूलशहर। 3. मुकन्द कौर पत्नी खजान सिंह पुत्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 5 बी एल एम तहसील विजयनगर। 4. दलीप कौर पत्नी चन्द सिंह पुत्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी एल डी तहसील विजयनगर। 5. गुरदेव कौर पत्नी प्रताप सिंह पुत्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील विजयनगर। 6. प्रीतम सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. जगजीत सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 8. हमीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 9. मलकीत सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 10. छिन्द्र कौर पत्नी चमकौर सिंह पुत्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी सांदेहाशिम तहसील फिरोजपुर। 11. महेन्द्र कौर पत्नी गुरदीप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील श्रीगंगानगर। 12. कर्मजीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 19.01.2012

अभिभाषक: 1.श्री गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 ता 9

--निर्णय-- दिनांक:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2031 ता 34 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि में से लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला 1/5 हिस्सा का खातेदार दर्ज है। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सिंह को बेचान कर दी थी। पूर्ण सिंह की मृत्यू हुए करीबन 15-16 वर्ष हो गये है। वादी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 उसके जायज वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ने मृतक पूर्ण सिंह की आराजी में अपना तमाम हिस्सा वादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है और वे कुछ भी लेना नहीं चाहती है। लाल सिंह के द्वारा उक्त भूमि बेचान करने के बाद से उक्त भूमि पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता का कब्जा काश्त रहा। और वादी संख्या 2 व 3 के पिता की मृत्यू के पश्चात वादी संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। लाल सिंह के द्वारा उक्त भूमि का बेचान करने के बाद उक्त खाता में लाल सिंह का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया था। परन्तु लाल सिंह के द्वारा उक्त भूमि को जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 30.06.1978 को गुरमुख सिंह, साधू सिंह, महेन्द्र सिंह, को बेचान कर दी थी। जिसका इन्तकाल तत्कालीन पटवारी के द्वारा दर्ज कर दिया गया। लाल सिंह के द्वारा उक्त 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 का बेचान वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 व 3 को किया जा चुका था। इसलिए दिनांक 30.06.1978 को पुनः उसी आराजी को बेचान करने का अधिकार लाल सिंह को नहीं था। इसलिए पुनः उसी आराजी का बेचान गुरमुख सिंह को किया है तो वह शुन्य एवं अवैध है। और वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। तत्कालीन पटवारी के द्वारा बैयनामाजात 30.06.1978 का दर्ज किया गया इन्तकाल भी शून्य व अवैध है। जिसे निरस्त किया जावे। गुरमुख सिंह पुत्र नारायण सिंह व उसके पुत्र साधु सिंह पुत्र गुरमुख सिंह की भी मृत्यू हो चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 गुरमुख सिंह व साधू सिंह के जायज वारिस है। गुरमुख सिंह,साधु सिंह की मृत्यू होने के बाद महेन्द्र सिंह आदि के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978 का फाईदा उठाते हुए उसका विरास्तन इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 04.05.1990 अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जो सरासर गलत है। वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने गलत इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 04.051990 का फाईदा उठाते हुए उक्त 125 हिस्सा भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामाजात प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को कर दिया। तत्कालीन पटवारी ने उक्त आराजी का इन्तकाल संख्या 57 दिनांक 19.06.1991 प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हक में किये गये बैयनामाजात शून्य व अवैध है। उक्त बैयनामाजात के आधार पर किया गया इन्तकाल संख्या 57 भी शून्य व अवैध है। और निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978 का गलत इन्द्राज आगामी जमाबन्दियों में होता रहा और गलत इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 04.05.1990 का गलत इन्द्राज भी आगामी जमाबन्दियों में होता रहा और गलत इन्तकाल संख्या 57 दिनांक 19.06.1991 का गलत इन्द्राज आगामी जमाबन्दियों में होता रहा है और चालू जमाबन्दी सम्वत 2056 के खाता संख्या 3 में दर्ज हो चुका है। इसलिए वादीगण जमाबन्दियां दुरूस्त करवाने के हकदार है एंव मौजूदा जमाबन्दी में 125 हिस्सा की आराजी में प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम हटाकर वादी संख्या 1 सरदूल सिंह 115 हिस्सा एंव वादी संख्या 2 व 3 के नाम 10 हिस्सा दुरूस्त करवाने के हकदार है। एंव दावा ला पाने के हकदार है। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण को कहा कि चालू जमाबन्दी सम्वत 2056 में वादीगण के नाम 125 हिस्सा की आराजी खातेदारी दर्ज करवा देवे एंव जमाबन्दी दुरूस्त करवा दे। पहले तो वे टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 02.02.2004 को साफ इन्कार हो गये यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अर्जीदावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि चक 4 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 2 की 5.880 हेक्टैयर नहरी भूमि और मुरब्बा नम्बर 26 की 2.024 हेक्टैयर नहरी कुल 7.904 हेक्टैयर नहरी भूमि में वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को 115 हिस्सा एंव वादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर 10 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। एंव प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 का नाम जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश दिया जाकर जमाबन्दी दुरूस्त करने के आदेश दिया जावे एंव इस अमर का आदेश वास्ते अमल दरामद जमाबन्दी तहसीलदार श्रीकरणपुर को भेजा जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की तलवी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार लाल सिंह द्वारा सरदूल सिंह आदि को 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 का बेचान करना कतई गलत है। सरदूल सिंह का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रही है। अगर कोई बैयनामाजात है तो वे कूटरचित व फर्जी है। प्रतिवादीगण के हकूक पर बेअसर है। वादग्रस्त भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 30.06.1978 को गुरमुख सिंह, साधू सिंह, महेन्द्र सिंह, को बेचान कर दी थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने उपजिलाधीश महोदया श्रीगंगानगर से भूमि विक्रय की स्वीकृति लेकर भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को किया था। वे तब से इस भूमि के खातेदार मालिक हो चूके है। उक्त भूमि के इन्तकाल अन्तिम हो चुके है जो सही व वैध है। बैयनामा की वैधता के सम्बन्ध में कार्यवाही दीवानी न्यायालय में चल सकती है। राजस्व न्यायालय में इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं चल सकती है। जब तक दीवानी न्यायालय बैयनामा को निरस्त नहीं करती तब तक इन्तकालको निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नहीं है। दावा मियाद बाहर है। वाद बैयनामाजात को शून्य व अवैध करार देने के सम्बन्ध में है। जिसको सुनने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार हासिल नहीं है। इस कारण दावा काबिले खारिजी है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण के विरूद्ध इस अमर का आज्ञात्मक आदेश पारित किया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त चक 4 एफ ए की विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार प्रकार की दखलअंदाजी न करे। व वादी का वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार वादग्रस्त आराजी लाल सिंह ने सन 1976 पंजीकृत बैयनामा वादीगण के पक्ष में बेचान कर दी थी। इसलिए उसी आराजी को दोबारा बेचान करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। इसलिए पुनः बेचान शून्य व अवैध है। वादीगण सन 1976 से ही बैयनामाजात की रूह से विवादित के खातेदार मालिक हो चुके है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा पंजीकृत बैयनामाजात का खातेदारी इन्तकाल वादीगण के पक्ष मे नहीं किया गया है। इसलिए वादीगण ने धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत न्यायालय में दावा पेश करने हेतु कोई मियाद नहीं है। इसलिए दावा अन्दर मियाद है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे एंव प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का काउन्टर क्लेम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या चक 4 एफ ए के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि में लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह 1/5 हिस्सा का सहखातेदार था। जिसमें से वादी सरदूल सिंह ने जरिये पंजीकृत बैयनामा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की व क्रय की गई भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-
2. आया कि क्या वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह ने लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह से उक्त खाता में से 10 बिस्वा भूमि क्रय की? -जिम्मे वादीगण-
3. आया कि क्या साधू सिंह, गहेन्द्र सिंह पिसरान गुरमुख सिंह ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर सरदूल सिंह वादी द्वारा लाल सिंह से क्रय की गई भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया जो शून्य अवैध निरस्त किये जाने योग्य है? -जिम्मे वादीगण-
4. आया कि क्या चक 4 एफ ए का इन्तकाल संख्या 24, 55, 57 व हक प्रतिवादीगण अवैध, शून्य व निरस्त किये जाने योग्य है? -जिम्मे वादीगण-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

5. बैयनामा के अन्त में दर्ज नोट कि विक्रेता लाल सिंह को वाहरी बंटवारा में चक 4 एफ ए की बेचान की गई भूमि के बदले क्रेतागण को कब्जा चक 6 एफ ए में दिया गया है। इसका वाद पर क्या प्रभाव है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-
6. आया कि क्या बैयनामा व हक वादीगण अवैध व शून्य है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-
7. आया कि क्या वादपत्र काबिल समायत सिविल न्यायालय है? -जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्यवादी में गवाह सरदूल सिंह, जरावेन्द्र सिंह, रूपेन्द्रपाल सिंह उपस्थित आए व शपथ पत्र वावत साक्ष्यवादी पेश किए। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.05.1976 लाल सिंह बहक सरदूल सिंह प्रदर्श 1, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.06.1976 लाल सिंह बहक पूर्ण सिंह प्रदर्श-2, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.06.1976 लाल सिंह बहक सरदूल सिंह प्रदर्श-3, पंजीकृत बैयनामा दिनांक 18.05.1976 लाल सिंह बहक सरदूल सिंह प्रदर्श-4, चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 36 के खाता संख्या 3 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-5, चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2036 खाता संख्या 2 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-6, चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2031 ता 2034 खाता संख्या 2 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-7, जमाबन्दी चक 4 एफ ए प्रदर्श-8, चक 4 एफ ए इन्तकाल संख्या 55 प्रदर्श-9, चक 4 एफ ए इन्तकाल संख्या 57 प्रदर्श-10, चक 4 एफ ए इन्तकाल संख्या 24 प्रदर्श-11 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि जिरह साक्ष्यवादी नहीं करना चाहता। इसलिए जिरह वकील प्रतिवादी बन्द की गई। साक्ष्यप्रतिवादी में गवाह मलकीत सिंह, प्रीतम सिंह, जगजीत सिंह उपस्थित आए व शपथ पत्र वावत साक्ष्यप्रतिवादी पेश किए। जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : आया कि क्या चक 4 एफ ए के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि में लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह 1/5 हिस्सा का सहखातेदार था। जिसमें से वादी सरदूल सिंह ने जरिये पंजीकृत बैयनामा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की व क्रय की गई भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा चक 4 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि में पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 लाल सिंह बहक सरदूल सिंह, पूर्ण सिंह की रूह से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2031 ता 34 के खाता संख्या 2 के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि में से लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला 1/5 हिस्सा यानि 1.581 हेक्टैयर भूमि का खातेदार था। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि (1.454 हेक्टैयर) जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि (0.127 हेक्टैयर) दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दी थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976, दिनांक 02.06.1976, पंजीकृत बैयनामा है जो रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर से तस्दीकशुदा है। पंजीकृत बैयनामाजात एक विश्वसनीय दस्तावेज है। जिसमें कोई सन्देह होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उक्त पंजीकृत बैयनामाजात 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976, दिनांक 02.06.1976, का इन्तकाल तत्कालीन पटवारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त 1.581

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

हेक्टैयर भूमि के बैयनामाजात का इन्तकाल दर्ज नहीं होने के कारण लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह के द्वारा द्वारा उक्त 1.581 हेक्टैयर भूमि को पुनः जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 30.06.1978 को गुरमुख सिंह, साधू सिंह, महेन्द्र सिंह, को बेचान कर दिया था। जिसका इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978 तत्कालीन पटवारी के द्वारा दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि को पुनः बेचान करने का हक लाल सिंह को नहीं था। क्योंकि लाल सिंह के द्वारा वादी संख्या 1 सरदूल सिंह व वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह को 1.581 हेक्टैयर भूमि बेचान करने के बाद उक्त खाता में लाल सिंह के हिस्से में कोई भूमि शेष नहीं थी। इसलिए लाल सिंह के द्वारा गुरमुख सिंह, साधू सिंह, महेन्द्र सिंह के हक में उक्त 1.581 हेक्टैयर भूमि का किया गया पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 30.06.1978 से बेचान व इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। गुरमुख सिंह पुत्र नारायण सिंह व उसके पुत्र साधु सिंह पुत्र गुरमुख सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 04.05.1990 उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज कर दिया गया। विरासतन इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 04.05.1990 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने उक्त 125 हिस्सा भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 05.03.1991, 18.02.1991, 05.03.1991, 18.02.1991, 20.02.1991 से प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को कर दिया। जिसका इन्तकाल संख्या 57 दिनांक 19.06.1991 प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त 1.581 हेक्टैयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हक में किया गया बैयनामाजात दिनांक 05.03.1991, 18.02.1991, 05.03.1991, 18.02.1991, 20.02.1991 व बैयनामाजात का इन्तकाल संख्या 57 दिनांक 19.06.1991 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 8 हमीर सिंह पुत्र शेर सिंह के द्वारा 0.227 हेक्टैयर भूमि के किए गए बैयनामाजात बहक जगतार सिंह, बूटा सिंह, अवतार सिंह पिसरान गुरादिता सिंह, के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 237 दिनांक 20.05.2011 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि क्या वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह ने लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह से उक्त खाता में से 10 बिस्वा भूमि क्रय की?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रदर्श-2 पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.06.1976 लाल सिंह बहक पूर्ण सिंह से स्पष्ट है कि लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि (0.127 हेक्टैयर) दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दी थी। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या साधू सिंह, महेन्द्र सिंह पिसरान गुरमुख सिंह ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर सरदूल सिंह वादी द्वारा लाल सिंह से क्रय की गई भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया जो शून्य अवैध निरस्त किये जाने योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में सिद्ध किया जा चुका है कि चक 4 एफ ए के इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978, 55 दिनांक 04.05.1990, 57 दिनांक 19.06.1991 व 237 दिनांक 20.05.2011 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 : आया कि क्या चक 4 एफ ए का इन्तकाल संख्या 24, 55, 57 व हक प्रतिवादीगण अवैध, शून्य व निरस्त किये जाने योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 में सिद्ध किया जा चुका है कि चक 4 एफ ए के इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 23.12.1978, 55 दिनांक 04.05.1990, 57 दिनांक 19.06.1991 व 237 दिनांक 20.05.2011 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

तनकी संख्या 5 : बैयनामा के अन्त में वर्ज नोट कि विक्रेता लाल सिंह को वाहमी बंटवारा में चक 4 एफ ए की बेचान की गई भूमि के बदले क्रेतागण को कब्जा चक 6 एफ ए में दिया गया है। इसका वाद पर क्या प्रभाव है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि (1.454 हेक्टैयर) जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि (0.127 हेक्टैयर) दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दी थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976, दिनांक 02.06.1976, पंजीकृत बैयनामा है जो रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर से तस्दीकशुदा है। लाल सिंह द्वारा 4 एफ ए की भूमि का बेचान किया गया था, कब्जा चक 6 एफ ए में दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 : आया कि क्या बैयनामा व हक वादीगण अवैध व शून्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि (1.454 हेक्टैयर) जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि (0.127 हेक्टैयर) दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दी थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976, दिनांक 02.06.1976, पंजीकृत बैयनामा है जो रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर से तस्दीकशुदा है। पंजीकृत बैयनामाजात एक विश्वसनीय दस्तावेज है। जिसमें कोई सन्देह होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। लिहाजा बैयनामा व हक वादीगण वैध है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 7 : आया कि क्या वादपत्र काबिल समायत सिविल न्यायालय है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 की थी। चक 4 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 2 के 23-1/4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 26 के 8 बीघा कुल 31 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि में लाल सिंह 1.581 हेक्टैयर भूमि का खातेदार था। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि (1.454 हेक्टैयर) जरिये पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 1 सरदूल सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह ने अपनी उक्त आराजी में से 10 बिस्वा भूमि (0.127 हेक्टैयर) दिनांक 02.06.1976 को वादी संख्या 2 व 3 के पिता पूर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दी थी। लाल सिंह के द्वारा 1.581 हेक्टैयर भूमि का बेचान कर देने के पश्चात उक्त खाता में लाल सिंह का कोई हिस्सा शेष नहीं था। उक्त बैयनामाजात के पश्चात लाल सिंह को पुनः उसी भूमि को बेचान करने का कोई हक नहीं था। उक्त 1.581 हेक्टैयर भूमि के पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 18.05.1976, दिनांक 26.05.1976, दिनांक 02.06.1976 के पश्चात लाल सिंह के द्वारा निष्पादित किए गए बेयनामे प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। अतः प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी बैयनामा दस्तावेजात के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 निर्णीत की जाती है।

8. **अनुतोष।**

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 4 बहक वादीगण व तनकी संख्या 5 ता 7 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ ए की के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 2, 26 की कुल 7.905 हेक्टैयर भूमि में प्रीतम सिंह पुत्र शेर सिंह (0.395 हेक्टैयर), जगजीत सिंह पुत्र शेर सिंह (0.319 हेक्टैयर), हमीर सिंह पुत्र शेर सिंह (0.169 हेक्टैयर), मलकीत सिंह पुत्र निहाल सिंह (0.395 हेक्टैयर), अवतार सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.075 हेक्टैयर), जगतार सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.076 हेक्टैयर), बूटा सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.076 हेक्टैयर) के नाम दर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 सरदूल सिंह पुत्र अर्जीत सिंह को 1.379 हेक्टैयर भूमि का व वादी संख्या 2 जगरूप सिंह पुत्र पूर्ण सिंह व वादी संख्या 3 जसविन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह को 0.126 हेक्टैयर भूमि बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक .2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सरदूल सिंह आदि बनाम महेन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 07/2012
निर्णय दिनांक :- 06.09.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह, श्री गुरदयाल सिंह मल्ली व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ ए की के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 2, 26 की कुल 7.905 हेक्टैयर भूमि में प्रीतम सिंह पुत्र शेर सिंह (0.395 हेक्टैयर), जगजीत सिंह पुत्र शेर सिंह (0.319 हेक्टैयर), हमीर सिंह पुत्र शेर सिंह (0.169 हेक्टैयर), मलकीत सिंह पुत्र निहाल सिंह (0.395 हेक्टैयर), अवतार सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.075 हेक्टैयर), जगतार सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.076 हेक्टैयर), बूटा सिंह पुत्र गुरादिता सिंह(0.076 हेक्टैयर) के नाम दर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 सरदूल सिंह पुत्र अजीत सिंह को 1.379 हेक्टैयर भूमि का व वादी संख्या 2 जगरूप सिंह पुत्र पूर्ण सिंह व वादी संख्या 3 जसविन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह को 0.126 हेक्टैयर भूमि बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.09.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 06.09.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/466
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते